भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2374

03 दिसंबर, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: सिंचाई व्यवस्था

2374. श्री शंकर लालवानीः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बेहतर सिंचाई व्यवस्था स्थापित करने हेतु किन योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान योजनाओं के लिए राज्य-वार कितनी निधि आवंटित की गई है;

(ग) क्या सरकार मध्य प्रदेश के लिए कार्यान्वित विशेष सिंचाई योजनाओं पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) से (घ) : वर्ष 2015-16 के दौरान, सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला अर्थात् जल स्त्रोत, वितरण नेटवर्क तथा फार्म सतरीय अनुप्रयोगों में समग्र समाधान प्रदान करने के लिए 'हर खेत को पानी' के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की शुरूआत की गई थी। यह योजना मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों में लागू की जा रही है। पीएमकेएसवाई के घटक निम्नानुसार हैं:

i. **त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी):** राष्ट्रीय परियोजनाओं सहित जारी मुख्य एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को तीव्र गति से पूरा करने पर फोकस करना। इस कार्यक्रम को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

   वर्ष 2016-17 के दौरान 76.03 लाख हे. क्षमता वाली मूलभूत सिंचाई वाली एआईबीपी के तहत मध्य प्रदेश में 14 परियोजनाओं और 7 चरणों सहित 99 (और 7 चरण) जारी मुख्य/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को राज्यों के साथ परामर्श करके प्राथमिकता दी गई है जिन्हें जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा कार्यान्वित कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यों के साथ दिसंबर, 2019 तक चरणों में पूरा किया जाना है।

ii. **पीएमकेएसवाई- हर खेत को पानी (एचकेकेपी):** स्रोत संवर्धन को बढ़ाना, वितरण, भू-जल विकास, लिफ्ट सिंचाई, जल की अधिकता वाले क्षेत्र से जल की कमी वाले क्षेत्र की ओर जल का बहाव, मरम्मत, पुर्नस्थापन, परंपरागत जल निकायों का नवीनीकरण। इस कार्यक्रम को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

iii. **पीएमकेएसवाई-पनधारा विकास (डब्ल्यूडीसी):** यह घटक निवल कृषि योग्य क्षेत्र एवं कल्चरेबल बंजर भूमि के वर्षा सिंचित हिस्से के विकास पर फोकस करता है। इन क्रियाकलापों में रिज क्षेत्र उपचार, जल निकासी, मृदा एवं नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, पौधशाला स्थापना, वृक्षारोपण, बागवानी, चरागाह विकास, संपत्ति विहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका इत्यादि शामिल हैं। इसे भू-संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

iv. **पीएमकेएसवाई-प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी):** सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों अर्थात ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के माध्यम से फार्म स्तर पर जल उपयोग कुशलता को बढ़ाने पर फोकस करना। इस कार्यक्रम को कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

2015-16 से 2018-19 तक मध्य प्रदेश सहित राज्यों को जारी केंद्रीय सहायता का विवरण **अनुबंध- I से III** में दिया गया है।

2015-16 *से* **2018-19** *तक पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी के तहत जारी राज्यवार केंद्रीय सहायता*

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
1	आंध्र प्रदेश	206.47	308.69	517.1	520	1552.26
2	बिहार	28.6	21.6	12.5	27.91	90.61
3	छत्तीसगढ़	20.3	44.8	55	43.39	163.49
4	गोवा	0.3	0.8	0	1.2	2.3
5	गुजरात	213.05	274	300	272.5	1059.55
6	हरियाणा	34.97	27	14.01	27.41	103.39
7	हिमाचल प्रदेश	7.6	8.5	19.25	26	61.35
8	झारखंड	14.97	30.7	25	10	80.67
9	जम्मू और कश्मीर	4.87	5.4	3	7.8	21.07
10	कर्नाटक	213.12	229	385	372.03	1199.15
11	केरल	8.53	0	25	4	37.53
12	मध्य प्रदेश	161.74	121.1	150	132.56	565.4
13	महाराष्ट्र	107.26	305.7	362.5	360	1135.46
14	ओडिशा	28.7	39.7	48	58	174.4
15	पंजाब	43	1.18	0	9	53.18
16	राजस्थान	142.84	129	107.5	168.48	547.82
17	तमिलनाडु	129.78	143.5	369.55	355	997.83
18	तेलंगाना	111.32	189	257	122	679.32
19	उत्तराखंड	9.6	15	27.2	43	94.8
20	उत्तर प्रदेश	37.51	41.4	55	87.88	221.79
21	पश्चिम बंगाल	4.8	19.9	31	40	95.7
22	अरुणाचल प्रदेश	2.6	2	8.3	12.5	25.4
23	असम	5.03	11	3	30	49.03
24	मणिपुर	2.76	3.6	7.5	40	53.86
25	मेघालय	1.43	0	3.3	12	16.73
26	मिजोरम	3.27	8.1	12.3	27.8	51.47
27	नागालैंड	2.34	4.5	11.8	35	53.64
28	सिक्किम	4.86	5.4	4	55.19	69.45
29	त्रिपुरा	1.55	0.00	3.75	15.00	20.30
30	एक प्रायद्वीप	0.20	0.00	0.50	0.00	0.70
31	पुडुचेरी	2.03	0.00	0.00	0.00	2.03
	कुल योग	1555.40	1990.57	2818.06	2915.65	9279.68

2015-16 से 2018-19 तक पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी के तहत जारी राज्य-वार केंद्रीय सहायता

रुपये करोड़ में

क्र.सं.	राज्य	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
1	आंध्र प्रदेश	86.73	120.96	123.35	139.15	470.19
2	अरुणाचल प्रदेश	18.00	23.12	9.62	19.17	69.91
3	असम	45.00	0.00	65.09	66.55	176.64
4	बिहार	5.00	28.26	19.21	46.77	99.24
5	छत्तीसगढ़	20.00	34.96	33.45	57.03	145.44
6	गुजरात	100.00	115.04	87.51	151.84	454.39
7	हरियाणा	6.91	12.82	10.94	10.00	40.67
8	हिमाचल प्रदेश	20.00	35.40	26.83	24.04	106.27
9	जम्मू और कश्मीर		25.59	43.66	71.87	141.12
10	झारखंड	20.00	17.68		28.83	66.51
11	कर्नाटक	125.00	145.72	175.69	101.07	547.48
12	केरल	20.00	16.62	17.83	13.06	67.51
13	मध्य प्रदेश	**150.00**	**129.44**	**134.84**	**162.41**	**576.69**
14	महाराष्ट्र	250.00	186.95	279.21	163.33	879.49
15	मणिपुर	9.00	11.29	13.84	14.14	48.27
16	मेघालय	18.00	11.56	8.95	6.69	45.20
17	मिजोरम	8.87	16.06	22.35	23.14	70.42
18	नागालैंड	27.00	60.84	32.08	38.51	158.43
19	ओडिशा	67.50	91.99	94.48	102.17	356.14
20	पंजाब	7.95	0.00	7.96	0.00	15.91
21	राजस्थान	200.00	199.35	243.59	299.00	941.94
22	सिक्किम	6.30	0.00	1.40	0.00	7.70
23	तमिलनाडु	75.00	62.36	82.75	90.59	310.70
24	तेलंगाना	70.00	0.00	51.14	81.93	203.07
25	त्रिपुरा	20.89	27.12	16.66	15.89	80.56
26	उत्तर प्रदेश	75.00	58.38	63.93	0.00	197.31
27	उत्तराखंड	25.68	16.15	9.97	6.98	58.78
28	पश्चिम बंगाल	10.00	24.06	15.48	46.39	95.93
	कुल	**1487.83**	**1471.72**	**1691.81**	**1780.55**	**6431.91**

लो.स.*अता.प्र.सं.***2374**

अनुलग्क- I

पीएमकेएसवाई के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का विवरण

करोड़ रुपये में

क्र.सं.	**राज्य**	**एआईबीपी जारी केंद्रीय सहायता**					**एसएमआई जारी केंद्रीय सहायता**					**आरआरआर जारी केंद्रीय सहायता**				
		2015-16	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**कुल**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**कुल**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**कुल**
1	आंध्र प्रदेश	0.00	7.40	15.23	0.00	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70
2	अरुणाचल प्रदेश						37.22	20.52	10.26	22.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	असम	107.92	0.00	0.00	0.00	107.92	139.41	87.86	375.77	428.34	1031.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	बिहार	41.51	0.00	46.32	37.82	125.65	6.36	0.00	0.00	32.28	38.64	0.00	0.00	0.00	6.26	6.26
5	छत्तीसगढ़	0.00	13.29	17.25	0.00	30.54	32.77	0.00	0.00	0.00	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	128.00	961.88	1410.49	1047.29	3547.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.81	8.81
8	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	49.28	66.20	116.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	हरयाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	जम्मू और कश्मीर	34.31	0.00	9.57	16.92	60.80	84.03	0.00	104.48	31.71	220.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	झारखंड	281.62	145.75	305.10	305.88	1038.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	कर्नाटक	208.16	135.46	459.52	197.00	1000.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	**मध्य**	**188.21**	**300.13**	**181.27**	**81.01**	**750.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

	प्रदेश															
15	महाराष्ट्र	307.81	379.86	363.02	527.54	1578.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	मणिपुर	142.38	126.99	25.42	21.93	316.72	40.00	20.00	22.23	0.00	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.99	0.00	44.44	31.50	148.93	0.00	0.00	2.66	0.00	2.66
18	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00	8.25	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	नगालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.45	18.50	9.25	35.33	124.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34	0.00	9.00	16.61	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.37	0.00	32.40	61.00	214.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	ओडिशा	173.80	457.74	464.71	119.38	1215.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.75	0.00	3.00	0.00	57.75
25	पंजाब	1.05	52.42	0.00	0.00	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	राजस्थान	45.51	45.89	216.87	95.15	403.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.93	0.00	14.30	0.00	50.23
27	तेलंगाना	112.50	545.44	13.24	1.99	673.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.88	0.00	59.68	0.00	104.56
28	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.22	0.00	0.00	7.03	16.25
29	उत्तर प्रदेश	555.04	135.63	65.60	397.16	1153.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.41	0.00	0.00	0.00	16.41
	कुल	**2327.82**	**3307.88**	**3593.61**	**2849.07**	**12078.37**	**601.92**	**148.01**	**665.36**	**725.22**	**2140.51**	**161.19**	**0.00**	**79.64**	**24.80**	**265.63**